न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

odhpur 2018-010 (GCMS2018-00005) RTA223 Pancharam Vs Manakram etc

पांचाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई जाणी
निवासी खारा, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. माणकराम पुत्र कानाराम
2. सुण्डाराम पुत्र कानाराम के कायममुकामान-
   2.1. मनोहरराम पुत्र सुण्डाराम
   निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर
   2.2. राजाराम पुत्र सुण्डाराम
   निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर
   2.3. पूनाराम पुत्र सुण्डाराम
   निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर
   2.4. शान्ति पुत्री सुण्डाराम पत्नी रामरखराम जाति विश्नोई डारा,
   निवासी नगरासर, तहसील कोलायत,
   जिला बीकानेर
   2.5. बिरमा पुत्र सुण्डाराम पत्नी बचनाराम जाति विश्नोई डारा,
   निवासी नगरासर, तहसील कोलायत,
   जिला बीकानेर
3. मोहनराम पुत्र कानाराम के कायममुकामान-
   3.1. शान्ति पत्नी मोहनराम
   3.2. कैलाश पुत्र मोहनराम
   3.3. श्यामा पुत्र मोहनराम
   3.4. सुशीला पुत्री मोहनराम
   3.5. लाली पुत्री मोहनराम
   सभी जाति विश्नोई, निवासी खारा
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
4. भागीरथराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई गोदारा,
   निवासी खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
5. भागीरथ पुत्र कानाराम जाति विश्नोई जाणी
   निवासी खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 27 नवम्बर 2017 राजस्व वाद संख्या 188/1996 पांचाराम बनाम माणकराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बुधाराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री आर.एन.बेनीवाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 25 जनवरी, 2023

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 188/1996 पांचाराम बनाम माणकराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 नवम्बर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92ए व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम खारा स्थित आराजी खसरा संख्या 509/4 रकबा 15 बीघा के संबंध में प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 188/1996 पांचाराम बनाम माणकराम दिनांक 04 दिसम्बर 1996 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण-रेस्पो. एक से चार की ओर से जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद, जबाबदावा एवं काण्उटर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 नवम्बर 2017 उक्त वाद एवं काउण्टर क्लेम खारिज कर दिये गये। जिसके खिलाफ वादी-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का जरिये आदेश कमांक 1302 दिनांक 07 अगस्त 1967 को प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 के पक्ष में आवण्टन हुआ, तदनुसार कब्जा सुपुर्द किया जाकर म्युटेशन संख्या 19/226 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया गया। प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार का उक्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त एवं अधिकार नहीं रहा। दिनांक 05 अगस्त 1996 को वादग्रस्त आराजी वादी-अपीलाण्ट ने प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 से जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त बेचाननामा निष्पादित होने के बाद प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 4 ने प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 पर फर्जी आदमी बन कर बेचाननामा निष्पादित करने का आरोप लगाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत एक परिवाद पेश किया गया, जो आरोप सिद्धि के अभाव में दिनांक 16 जनवरी 2013 को खारिज हो गया। उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख के आधार पर अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने समुचित साक्ष्य सबूत पेश कर अपना वाद बखूबी साबित कर दिया, मगर विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य सबूत को नजरअंदाज कर वक्त आवण्टन आवण्टी (प्रतिवादी-रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 5) को नाबालिग मानते हुए वादी-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि सन् 1967 में निर्धारित प्रकिया की पालना करते हुए समुचित जांच की जाकर वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 के पक्ष में आवण्टन किया गया है। तब से पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित किये जाने तक आवण्टी-रेस्पो. संख्या 5 का उक्त आवण्टनशुदा भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त रहा है और राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि बाबत उसे खातेदार भी दर्ज किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद में उक्त आवण्टन को गलत नहीं माना जा सकता है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2017 डी.एन.जे.(रेवेन्यु) 145 की नजीर प्रस्तुत की और अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से चार ने अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या का कोई हक एवं कब्जा नहीं रहा है और न ही उक्त आराजी का उसे आवण्टन हुआ। वादग्रस्त आराजी बाबत आवण्टन आदेश कमांक 1302 दिनांक 07 अगस्त 1967 प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार के पक्ष में जारी हुआ और राजस्व रिकार्ड में जरिये म्युटेशन संख्या 19/226 मौजा खारा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 4 का ही नाम दर्ज किया गया। इस कारण प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 को वादग्रस्त आराजी बेचान करने का कोई अधिकार उपलब्ध ही नहीं होने के कारण उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख कब्जा रहित एवं प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण केता वादी-अपीलाण्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी बाबत कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है। मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण वादी-अपीलाण्ट के पक्ष में म्युटेशन भी स्वीकृत नहीं किया गया है। प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 का सही नाम भाखरराम पुत्र कानुराम एवं उपजाति जाणी है, मगर भागीरथ पुत्र कानाराम के नाम से फर्जी बेचाननामा अपने ही भाई वादी-अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित करने के कारण उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत एक परिवाद भी पेश किया गया। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से चार ने अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5 ने अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस का समर्थन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दादरसी सहित कुल 5 तनकियात कायम की गयी और उभय पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद उपलब्ध अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य वादी में वक्त आवण्टन आवण्टी भागीरथ पुत्र कानाराम (प्रतिवादी-रेस्पो संख्या 5) की आयु 10-15 वर्ष होना जाहिर किया गया है। प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 द्वारा वादी-अपीलाण्ट के पक्ष में 05 अगस्त 1996 को निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख में विकेता (प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5) की आयु 38 वर्ष दर्शायी गयी है। इन दोनों के आधार पर वक्त आवण्टन प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 (आवण्टी) नाबालिग होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उसके पक्ष में आवण्टन किया जाना संदेहास्पद मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या एक आया वादी के गांव की काश्त भूमि खंसरा नम्बर 509/4 रकबा 15 बीघा का खातेदार कृषक घोषित करवाने व उसके नाम से इन्द्राज रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है? (जिम्मे वादी)** का निष्कर्ष वादी-अपीलाण्ट के खिलाफ पारित किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या दो आया स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 4 इस कदर की जारी करवाने का अधिकारी है कि गांव खारा की काश्त भूमि खसरा नम्बर 509/4 रकबा 15 बीघा में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल न स्वयं करें और न किसी द्वारा करावें? (जिम्मे वादी)** का निस्तारण भी वादी-अपीलाण्ट के खिलाफ किया जाना अदालत हाजा की विनम्र राय में न्यायोचित पाया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक से चार की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा मय मजीद उजरात एवं काउण्टर क्लेम उपलब्ध है जिसके अंत में तस्दीक पर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार भागीरथराम के हस्ताक्षर किये हुए है, इसी प्रकार उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर भी प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार भागीरथराम के हस्ताक्षर किये हुए है। मगर भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन के लिए आवेदन पत्र पर भागीरथराम का अंगुष्ठ-निशान है। उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी भागीरथराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई ने स्वयं को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम 1955 के नियम 2 के खण्ड (3) के अर्थ में स्वयं को भूमिहीन व्यक्ति होना जाहिर किया है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तत्समय समय के पास कोई भूमि होना नहीं दर्शाया है। विचारण न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 4 भागीरथ पुत्र कानाराम के पास काफी पहले से 200 बीघा भूमि होना वादी-पक्ष की साक्ष्य में जाहिर किया गया है तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी ग्राम खारा संवत 2057-2060 में आराजी खसरा संख्या 431/4 रकबा 400 बीघा बाबत माणकराम सूण्डाराम भागीरथ मोहनराम पिसरान कोहला काऊ बेवा कोहला को ¼ हिस्से का सहखातेदार अंकित होना पाया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-पक्ष की साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यु. एक भागीरथ (प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार) ने अपने बयानों में जिरह के दौरान वक्त आवण्टन अपनी आयु 6 वर्ष होना तथा प्रदर्श डी-3 स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र (जिसमें उसकी आयु 05 जुलाई 1961 दर्ज है) होना जाहिर किया है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवण्टन प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार के पक्ष में होना संदिग्ध मानते हुए **तनकी संख्या तीन आया खसरा नम्बर 509/4 रकबा 15 बीघा मौजा खारा प्रतिवादी संख्या 4 भागीरथ पुत्र कानाराम विश्नोई उपजाति गोदारा की खातेदारी की घोषित की जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का अधिकारी है? (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4)** एवं उस पर आधारित **तनकी संख्या चार आया प्रतिवादी संख्या 4 अपने पक्ष में व वादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है? (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4)** का निस्तारण प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार के खिलाफ करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अथवा त्रुटि नहीं की गयी है। अतः इन तनकियात बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखे जाते है।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2017 डी.एन.जे.(रेवेन्यु) 145 का अदालत हाजा सम्मान करती है किन्तु तथ्यों की भिन्नता के कारण आलौच्य प्रकरण में लागू नहीं होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि **विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजी बाबत जारी आवण्टन आदेश कमांक 1302 दिनांक 07 अगस्त 1967 को अपास्त नहीं किया गया है, अपितु उक्त आवण्टन आदेश वादी-अपीलाण्ट अथवा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार के पक्ष में होना संदिग्ध मानते हुए तदनुसार विधिवत कार्यवाही करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया है।**

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 नवम्बर 2017 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-01-2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर